Research Paper | Education | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 6 | Issue : 11 | Nov 2020

DRUSHTI BADHIT DIVYANGJANO KE SHIKSHA KE VIKAS ME MEDIA KI BHUMIKA (JARKHAND KE VISHESH SANDARBH ME)

दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के शिक्षा के विकास में मीडिया की भूमिका (झारखण्ड के विशेष संदर्भ में)

Sangeeta Munda

शोध छात्रा, मानवशास्त्र विभाग, राँची वि0वि0 राँची, झारखण्ड

21वीं शताब्दी में भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में प्रतिस्थापित मीडिया की भूमिका काफी ज्यादा है। प्रेस मीडिया के इन प्रभावी भूमिकाओं के बावजूद झारखण्ड के दृष्टिबाधित दिव्यांग के विकास में आज भी प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया की भूमिका नगण्य है अन्यथा झारखण्ड के सभी दिव्यांगजनों में विशेषकर दृष्टि बाधित दिव्यांग तक शिक्षा की रोशनी पहुँचती। हलाँकि सामाजिक चेतना के विकास के साथ दिव्यांगों की शिक्षा के साधन बढ़ते चले गये। 18वीं शताब्दी के अन्त तक दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा प्रारंम्भ हो गई। दिव्यांगों की शिक्षा का सबसे प्राचीन सन्दर्भ 1552 में मिस्त्र से प्राप्त होती है। जहाँ नेत्रहीन अरबी विद्वान डिडीमस ने लकड़ी पर मिशन बनाकर पुस्तके लिखी जो नेत्रहीनों की प्राचीनतम लाइब्रेरी कहलाती है। 1784 में विश्व का पहला नेत्रहीन विद्यालय पेरिस में खुले। जबकि भारत के बम्बई में श्रवणहीनों के लिए पहला विद्यालय 1885 में खुला। तथा नेत्रहीनों के लिए 1887 में अमृतसर में विद्यालय खुला। विनोद कुमार मिश्र (2002)[1] के पुस्तक ''विकलांगता :

समस्याएँ व समाधान'' के अध्ययन सें स्पष्ट होता है कि अविभाजित भारत में नेत्रहीनों के लिए 32 विशेष विद्यालय थे। पेरिस में 1950 में आयोजित पहली अन्तराष्ट्रीय कान्फ्रेंस में पूरे विश्व में ब्रेल कोडो में एकरूपता लायी गई। 1967 में ब्रेल पुस्तकें छापने के लिए ब्रेल प्रेस लगाई गयी। पुस्तकों को ऑडियों कैसेटे में भी 1976 ई. से भरा जा रहा है। नेत्रहीनों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा हैं, साथ ही सरकार ने प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक स्तर से के लेकर उच्च शिक्षा छात्रवृति तथा छात्रावास की व्यवस्था की है। वर्त्तमान में पूरे देश में 250 से अधिक विशेष विद्यालय नेत्रहीनों को शिक्षा दे रहें है। साथ ही डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएच०डी० हेतु सैकड़ों शिक्षण संस्थान में नेत्रहीनों की शिक्षा दी जा रही है।

देश की विशाल नेत्रहीन आबादी और उनमें अशिक्षित नेत्रहीनों की संख्या समाज की एक नयी समस्या बनकर उभर रही है। देश में नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय तो कम है ही विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक और भी कम हैं। अध्ययन बतलाता है कि नेत्रहीन छात्रों को उचित अवसर और सहायता प्राप्त नहीं होने से शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता कम हो रही है। झारखण्ड राज्य में आज भी झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति परीक्षा में दृष्टिहीनों के लिए आरक्षित स्थान सुनिश्चित नहीं है। इन स्थितियों में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका बढ़ जाती है। प्रस्तुत शोध आलेख इसी बिन्दु को केन्द्र में रख कर किया गया है।

जनगणना रिपोर्ट 2011[2] के अध्ययन से जानकारी मिलती है कि देश में कुल 2.68 करोड़ दिव्यांग है, जिनमें 1.5 करोड़ पुरूष एवं 1.18 करोड़ महिलाएँ है। तथा झारखण्ड में कुल दिव्यांग 7,69,980 है, जिसमें सबसे अधिक दृष्टिबाधितों की संख्या 1,80,721 है। इस रिपोर्ट से यह भी जानकारी प्राप्त है कि देश में 29 वर्ष तक के आयु वर्ग में जिन दिव्यांगों को शिक्षा की आवश्यकता है, उनकी आबादी 1.23 करोड़ है। अध्ययन बतलाता है कि लगभग 20 लाख दिव्यांग व्यक्ति प्राथमिक, माध्यमिक एवं विशेष विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2010 से लागू होने के बाद भी 20 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुँच नहीं बना पायी हैं। इंदूमति राव (मई 2016)[3] के लेख ''विकलांगजन : शैक्षिक अधिकार व अक्सरों का उन्नयन'' के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि देश में 51 प्रतिशत दिव्यांग साक्षर नहीं है, 6 प्रतिशत मिड्ल स्तर की शिक्षा, 13 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर तथा उच्च शिक्षा प्राप्त की है। दिव्यांगों के अध्ययन में आने वाली समस्याओं यथा–उपेक्षा शिक्षकों एवं विद्यालयों की कमी, शिक्षा की खराब गुणवता, समावेशी शिक्षा हेतु ढाँचा का तैयार नहीं होना, तथा जवाबदेही एवं निगरानी की व्यवस्था का न होने पर विस्तार से जानकारी नहीं मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2015 में शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में दिव्यांगता को शामिल किया है यथा–शिक्षा में प्रवेश, प्रवेश नीतियाँ, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षण की रणनीतियाँ, पठन–सामग्री, मूल्यांकन व्यवस्था तथा आभासी शिक्षा माध्यम की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों द्वारा विद्यालयों का पर्याप्त सहायता, ई. कक्षाओं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से युक्त करने, सभी शिक्षक को विशेष आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु प्रशिक्षित करने पर बल दिया गया है। प्रस्तुत शोध समस्या ये है कि सरकार द्वारा दिव्यांगों को विशेषकर नेत्रहीन व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधा आज तक सबों को नहीं मिल पायी है, ऐसे में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ प्रेष व मीडिया की भूमिका काफी बढ़ जाती है।

दिव्यांगता राज्य सूची का विषय है। संविधान की सातवीं अनुसूची (राज्य सूची) की दूसरी सूची से नौवें स्थान पर बेकारी और दिव्यांगता की चर्चा है। संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में भी दिव्यांगता की चर्चा है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से सम्बंधित है तथा प्रवृष्टि संख्या 26 पर कर्णांकित है, कि समाज कल्याण जिसमें दिव्यांगता और मंदबुद्धि लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा की बात है। दिव्यांग के हितार्थ भारत में कई कानून बनाये गये है, जिसमें मुख्य है–

1. भारत की पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992
2. दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर अधिनियम 1995
3. ऑटिज्म, सेरेब्रल, पॉल्सी और मंदबुद्धिता तथा बहुआयामी दिव्यांगता अधिनियम 1999
4. मानिसक स्वास्थ्य अधिनियम, 1997 तथा
5. दिव्यांगता अधिनियम 2016

दिव्यांगजनों के लिए उपरोक्त कानून में शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुकूल परिवेश का निर्माण, दिव्यांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान, संस्थागत सेवाओं, बेरोजगारी भत्ता, शिकायत निवारण तंत्र तथा सामाजिक सुरक्षा का उपाय सुनिश्चित करना शामिल है, परन्तु

आजादी के 73 वर्षो के बाद भी दिव्यांगजनों को उपर्युक्त वर्णित लाभ सुनिश्चित नहीं हो पायी है। विनोद कुमार मिश्र (2002)[4] के पुस्तक ''विकलांगता : समस्याएँ व समाधान'' से स्पष्ट होता है कि आज भी सरकार के पास दिव्यांगों के प्रति जागरूकता, उनकी क्षमताओं के आकलन के प्रति जानकारी बहुत कम है, जिसके कारण संवैधानिक रूप से राज्य सूची के प्रविष्ट 9 में दिव्यांगजनों के लिये सिर्फ कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया गया, यथा–शिक्षा, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1977 में दिव्यांगजनों के लिए 'सी' और 'डी' श्रेणी के नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। आजादी के 73 वर्षो के बाद भी दिव्यांगजनों की सारी सुविधा तक पहुँच न होने पर मीडिया की भूमिक पर शोध समस्या उभर कर सामने आ जाती है।

संविधान में वर्णित कमजोर वर्गों जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन भी आते है, उनके सामाजिक विकास की प्रक्रिया में शिक्षा, जागृति और उचित धारणा सर्वाधिक आवश्यक होते है, और इसके लिये मीडिया की भूमिका की जरूरत होती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिव्यांगजनों के बारे में नकारात्मक धारणा में बदलाव, दिव्यांगता को रोकने का उपाय, दिव्यांगजनों के क्षमताओं का आकलन, सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास के साथ–साथ दिव्यांगजनों के लिए चल रही समस्त योजनाओं, तकनीकी उपलब्ध सेवाओं आदि के बारे में सही और पर्याप्त सूचना सरकार व समाज को देना। जिन्हें पत्र–पत्रिकाओं, अखबार पाठ्य–पुस्तकों, सामान्य पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पर्चे, पोस्टरों के जानकारी दी जा सकती है। रेडियों, टेलीविजन, फीचर फिल्मों, वीडियों फिल्मों, डाक्यूमेंटेरी फिल्मों के जरिए आसानी से और प्रभावी तरीके से जानकारी दी जा सकती है।

पूर्ववर्ती साहित्य की समीक्षा :–

प्रस्तुत शोध पत्र, शोध समस्या से जुड़े कई अखबार पत्र, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित पुस्तकों, सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेख का प्रकाशन भारत में हुआ है, जिससे शोध समस्या पर विस्तार से प्रकाश पड़ता है। विनोद कुमार मिश्र (2002)[5] के पुस्तक ''विकलांगता : समस्याएँ व समाधान'' के अध्ययन से विकलांगों

विनोद कुमार मिश्र (2002) : विकलांगता समस्याएँ व समाधान प्रकाशक जगतराम एण्ड संस, नई दिल्ली पृष्ठ सं०–184

के विकास में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश पड़ता है।साथ ही दिव्यांगजनों की समस्याओं पर काफी जानकारी प्राप्त होती है। उषा भट्ट (1964)[6] नें अपने शोध अध्ययन में दिव्यांगजनों के मनोवृतियों पर विस्तार से चर्चा की है कि कुल दिव्यांग व्यक्तियों में 6 प्रतिशत पिछड़ा महसुस करता है, जबकि 29 प्रतिशत दर्दनाक, 8 प्रतिशत तंगी महसूस करना, 33 प्रतिशत भयभीत, 4 प्रतिशत शर्मनाक महसूस करता है। निझवान शर्मा (1971)[7] और गाँधी (1971), सेठ (1973)[8] के अध्ययन में दिव्यांगजनों की समस्याओं के बारे में बतलाया गया है कि दिव्यांग लड़की ज्यादा भयभीत रहती हैं। कश्मीरा डी० पगड़ीवाला (1985)[9] ने अपने पीएच०डी० शोध अध्ययनों में स्पष्ट किया है कि 13 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ रहते हैं। जनगणना रिपोर्ट (2011)[10] भारत सरकार के अध्ययन से दिव्यांगजनों की कुल आबादी, साक्षरता व सामाजिक आर्थिक जानकारी होती है। भारत (2018)[11] जनसूचना एवं प्रकाशन विभाग भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिव्यांगजनों के प्रकार विभिन्न संवैधानिक पहलू, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ कार्यक्रम व नीतियों की जानकारी होती है।

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य : –

प्रस्तुत शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य है–

1. झारखण्ड के दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के शिक्षा के विकास में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका का अध्ययन करना।
2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के शिक्षा के विकास में मीडिया को प्रभाव को जानना।

प्रस्तुत शोध आलेख की उपकल्पना : –

शोध आलेख की उपकल्पना निम्न है–

1. झारखण्ड में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के शिक्षा के विकास में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण व साकारात्मक हैं।

2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के शिक्षा के विकास में मीडिया का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन क्षेत्र : –

प्रस्तुत शोध आलेख झारखण्ड राज्य के राजधानी शहर राँची में दिव्यांगजनों के लिये संचालित विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं व शिक्षकों को आधार बनाकर किया गया। इनमें से कुल 50 उत्तरदाताओं का अध्ययन हेतु चयन किया गया। जनगणना रिपोर्ट (2011)[12] के अनुसार राँची शहर की कुछ आबादी 11,26,720, पुरूष 5,86,596, महिला 5,40,124 तथा साक्षरता का प्रतिशत 87.32 हैं। ये शहर राजधानी शहर होने के नाते यहाँ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक किया मीडिया का मुख्यालय भी अवस्थित हैं। यह शहर विविधताओं से परिपूर्ण, विभिन्न भाषा–भाषियों के लोग परिवहन हेतु सड़क यातायात की सुविधा हैं।

शोध प्रणाली : –

प्रस्तुत शोध आलेख के अध्ययन हेतु तथ्यों को वैज्ञानिक विधि से एकत्रित किया गया है। तथा यह अध्ययन क्षेत्रीय कार्य पर आधारित हैं। शोध तकनीक के रूप में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राँची शहर में स्थित दो दिव्यांग विद्यालयों से कुल 50 उतरदाताओं का चयन की। तथ्य संकलन हेतु असहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन की। आँकड़ों का संकलन अनुसूची के माध्यम से प्रश्नों को उत्तरदाता के सामने रखते हुए उत्तरदाता द्वारा प्राप्त उत्तर को स्वयं प्रपत्र को भरते हुए की।

द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में प्रकाशित पुस्तक, जर्नल, भारत सरकार के मासिक पत्रिका योजना, कुरूक्षेत्र तथा पुस्तक, भारत 2018, जनगणना रिपोर्ट 2011 तथा सरकारी व गैर–सरकारी प्रकाशित आलेख के अध्ययन से तथ्यों का संकलन किया गया हैं। प्राप्त तथ्यों के वर्गीकरण विश्लेषण को सांख्यिकीय पद्धति से निष्कर्ष निकाला गया।

तथ्य विश्लेषण एवं परिणाम : –

प्रस्तुत अध्ययन के तथ्य संकलन हेतु अनुसूची व साक्षात्कार में दिव्यांगजनों के कुछ सामाजिक आर्थिक एवं शेष प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका से सम्बंधित प्रश्न थे।

परिणाम : –

क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त तथ्य विश्लेषण के आधार पर निम्न परिणाम सामने आये–

1. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उतरदाता 18 वर्ष से कम आयु के थे जो नेत्रहीन (दृष्टि बाधित) दिव्यांग थे तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षक थे।

2. सर्वाधिक 70 प्रतिशत उत्तरदाता सरना धर्म से सम्बधित है।

3. सर्वाधिक 85 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित एवं 15 प्रतिशत विवाहित है।

4. शत्–प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित है। ऐसा इसलिये कि सभी उत्तरदाता विभिन्न दिव्यांग विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहा है

और शेष शिक्षकगण हैं।

5. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उत्तरदाता अपने अभिभावकों पर आश्रित रहता है।

6. सर्वाधिक 37 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।

7. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उत्तरदाता नेत्रहीन है।

8. शत्–प्रतिशत उत्तरदाता मीडिया के भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है।

9. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उत्तरदाता जो दिव्यांग है, वे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किये जा रहे प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण स्थिति में पाया हैं।

10. सर्वाधिक 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं है।

11. सर्वाधिक 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को दिव्यांगजनों के तकनीकों व उपलब्ध सेवाओं की जानकारी नहीं हैं।

12. सर्वाधिक 68 प्रतिशत दिव्यांगजनों का मानना है कि समाज में हमारे लिये नाकारात्मक धारणा हैं, जिसके चलते मुझे सम्मान नहीं मिलता है।

13. सर्वाधिक 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि समाज के सदस्यों को दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति तो हैं, परन्तु व्यवहारिक उत्यान हेतु नहीं।

14. सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि नेत्रहीनों की समुचित सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं जो योजना, कार्यक्रम या हितार्थ कार्य हैं, वह लालफीताशाही के शिकारग्रस्त हैं।

15. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उत्तरदाता दूरदर्शन के प्रचार–प्रसार, फिल्म, धारावाहिक को देख नहीं पाते हैं। परन्तु उसे सुनते जरूर हैं।

16. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना हैं, कि दूरदर्शन पर दिव्यांग को प्रोत्सहित करने के लिये कोई भी नियमित धारावाहिक नहीं है। एक–दो धारावाहिक यदा–कदा प्रसारित करती है।

17. सर्वाधिक 95 प्रतिशत उतरादाताओं का कहना है कि अब रेडियों का प्रयोग नहीं करते हैं।

18. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उतरदाओं का कहना है कि समाचार पत्र व पत्र–पत्रिकाएँ में दिव्यांगजनों के लिए नियमित कॉलम नहीं है।

19. सर्वाधिक 90 प्रतिशत उतरदाताओं का मानना हैं कि मीडिया विज्ञापनों से चलती हैं, विज्ञापनदाता अपने उत्पाद का प्रचार–प्रसार के लिये और मीडिया अधिकाधिक आर्थिक लाभ लेकर उसे प्रकाशित व प्रसारित करता हैं।

20. सर्वाधिक 90 प्रतिशत उतरदाताओं का कहना हैं कि समाचार पत्र व पत्र–पत्रिकाओं का एक सम्पूर्ण पृष्ठ दैनिक रूप से दिव्यांगजनों से सम्बंधित होना चाहिए।

निष्कर्ष : –

प्रस्तुत शोध आलेख दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के शिक्षा के विकास में मीडिया की भूमिका का अध्ययन राँची शहर में अवस्थित दिव्यांग विद्यालयों के सन्दर्भ में किया गया। प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों के संकलित आँकड़ों का संकलन तथा सांख्यिकी विधि से विश्लेषण व प्राप्त परिणाम के आधार पर कहा जा सकता है कि आज भी दिव्यांगजनों के विकास में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित नही कर पायी है। विशेषकर झारखण्ड में स्थित दैनिक सामाचार पत्र, पत्र–पत्रिकाएँ विभिन्न दूरदर्शन चैनल को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। दिव्यांग बच्चे जो विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते है, उनका उम्र अधिकाशतः 18 वर्ष से कम है, सरना धर्म के ज्यादा है, अविवाहित हैं। स्वालम्बी बनने हेतु शिक्षा के प्रति अभिमूख है। परंन्तु इनमें सर्वाधिक बच्चे अभिभावकों पर आश्रित है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इसे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को जानकारी नहीं है, आज भी इसके प्रति समाज के लोग गलत धारणा रखते है, कमजोर और निकृष्ट समझते है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत कम धारावाहिक या कार्यक्रम नियमित रूप से दिव्यांगजनों के लिए चलते है, अखबार व पत्र–पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से दिव्यांगजनों के लिए विशेष समाचार प्रकाशित नहीं होती है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि मीडिया समाज के उच्च वर्गो और पूंजीपतियों के ही विकास में भूमिका कर अदा कर रही है, जबकि कमजोर वर्गों के अन्दर आने वाले दिव्यांगजनों के प्रति उदासीनता है।

सुझाव : –

1. सरकार द्वारा समय–समय पर मीडिया के लोगों को प्रेरित करने के लिए सेमिनार आयोजित करना चाहिए।

2 मीडिया द्वारा रोजना आधा घंटा का सीरियल या धारावाहिक दिव्यांगजनों के लिए देना चाहिए।

3. दैनिक अखबार पत्र पर एक पृष्ठ जानकारी दिव्यांगजनों का प्रकशित होना चाहिए।

4. मीडिया के कार्यो को देखकर उसे पुरस्कृत करना चाहिए।

5. दिव्यांगजनों के लिए बनायी गई सारी नीतियाँ, कार्यक्रमों, आंकड़ो, स्थितियों को प्रकाशित व प्रसारित करने के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसमें मीडिया के साथ सहसम्बन्ध होना जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

I. विनोद कुमार मिश्र (2002) : ''विकलांगता समस्याएँ व समाधान'' प्रकाशक जगतसम एण्डसंस, नयी दिल्ली

II. जनगणना रिपोर्ट 2011 भारत सरकार

III. इन्दूमति राव (2016) : विकलांगजन : ''शैक्षिक अधिकार व अवसरों का उन्नयन'' योजना, मासिक, पत्रिका, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

IV. कक्कड़ स्तुति (2013), ''विकलांगता को समझिये'' योजना, मासिक पत्रिका, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 270–271

V. सिंगल निधि (2013), ''विकलांग बच्चों की शिक्षा'' योजना प्रकाशन विभाग भारत सरकार ISSN-0971-8397, पृ.सं. 21–23

VI. ठाकुर अमृता (2013), ''विकलांगता और महिलायें'', योजना, मासिक पत्रिका, प्रकाशन, विभाग भारत सरकार, ISSN-0971-8397, पृ.सं. 40–42